



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27435

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1787 वर्ष 2026

धीरज कुमार त्रिपाठी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार तिवारी, प्रदीप कुमार आदित्य, राजेश कुमार वर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार वर्मा वर्तमान रिट याचिका वापस लेना चाहते हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अमेठी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह का तर्क है कि याचिकाकर्ता अमेठी में तैनात हैं और जिस प्राधिकारी ने आदेश पारित किया है वह अमेठी में स्थित है और केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता सिद्धार्थ नगर का स्थायी निवासी है, इस न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त नहीं हो जाती है।
3. परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका वापस लेना चाहते हैं।
4. तदनुसार, रिट याचिका पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"